

२१/०५/२५ पत्रांक पेश दुर्ग। प्राची मनोज कुमार द्वारा  
जयि वकील जीतेन्द्र गौड प्रा० का प्रस्तुत  
कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण में उक्त  
उभयपक्षकारात्र में लोकहित की भावना से  
राजिनामा हो चुका है। एवं उक्त प्रा० पत्र  
को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। प्राची  
मनोज कुमार के आईसीटी पर हस्ताक्षर कराये  
एवं पहिचान जीतेन्द्र गौड एवं द्वारा की गई।  
अतः प्राची द्वारा प्रस्तुत प्रा० पत्र के आद्यार पर  
उक्त पत्रांक वसी स्तर पर श्वारिज की जाती है।  
पत्रांक फैसल शुमार होकर कारिवाल दफ्तर  
हो।

मनोज कुमार

